न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला- दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज
	भगवान सहाय बनाम प्रमोद सिंह मु.नं.- 05/24 किस्म - अपील
	05.05.26 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधि० 1956 आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा सं.	तारीख रजू	तारीख निर्णय
05/2024	26.11.2024	05.05.2026

बउनवान

1. भगवान सहाय पुत्र किशोरीलाल मीना, निवासी नाँगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. खेमराज पुत्र किशोरीलाल मीना, निवासी नाँगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. अनिल कुमार पुत्र किशोरीलाल मीना, निवासी नाँगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।

..अपीलांट

बनाम

1. कजोड़ सिंह पुत्र शिम्भूसिंह राजपूत, निवासी नाँगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. हरिसिंह पुत्र शिम्भूसिंह राजपूत, निवासी नाँगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. अच्छन कंवर पुत्री शिम्भूसिंह पत्नी श्री धनसिंह उर्फ कैलसिंह राजपूत निवासी गंडूरा, तहसील लक्ष्मणगढ़, अलवर।
4. ऊगम कंवर पुत्री शिम्भूसिंह पत्नी प्रभूसिंह राठौर निवासी रूपपुरा, तहसील कुचामन सिटी, डीडवाना।
5. मिथलेश कंवर पुत्री शिम्भूसिंह पत्नी गिरधारी सिंह राजपूत, निवासी बरवाड़ा, तहसील मकराना, नागौर।
6. भरतसिंह पुत्र श्री उम्मेद सिंह राजपूत, निवासी रूपपुरा, तहसील कुचामन सिटी, डीडवाना।
7. रामसिंह पुत्र श्री उम्मेद सिंह राजपूत, निवासी रूपपुरा, तहसील कुचामन सिटी, डीडवाना।
8. ममता कंवर पुत्री श्री उम्मेद सिंह राजपूत, निवासी रूपपुरा, तहसील कुचामन सिटी, डीडवाना।
9. संतोष कंवर पुत्री श्री उम्मेद सिंह राजपूत, निवासी रूपपुरा, तहसील कुचामन सिटी, डीडवाना।
10. सरोज कंवर पुत्री श्री उम्मेद सिंह राजपूत, निवासी रूपपुरा, तहसील कुचामन सिटी, डीडवाना।
11. ग्राम पंचायत जटवाड़ा जरिये सरपंच ग्राम जटवाड़ा पंचायत समिति महवा, जिला दौसा।

..रेस्पोन्डेन्ट

उपस्थित

1. अभिभाषक अपीलांट – श्री प्रीतम चन्द सैनी ।
2. अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं. 1, 3 लगा. 10– श्री धर्मसिंह राजपूत।

अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 415 दिनांक 18.10.2024 द्वारा ग्राम पंचायत जटवाड़ा, पंचायत समिति महवा, दौसा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. यह अपील अपीलांट की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता इस आशय की पेश की है कि आराजीयात ग्राम नाँगल सुमेर सिंह, पटवार हल्का जटवाड़ा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा स्थित खसरा सं. 422, 423, 424. 425, 426, 427, 428, 508, कुल किता 8, कुल रकबा 2.20 हैक्टे. स्थित है। विवादित आराजीयात अपील का साबिक खसरा सं. 121 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा था जिसका पूर्व में खातेदार ऊंकार सिंह पुत्र श्री विजय सिंह राजपूत था जिससे अपीलाण्ट ने क्रमशः 1/3, 1/3 हिस्सा आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा पर कब्जा प्राप्त कर लिया। मौके पर अपीलाण्ट्स खरीदशुदा रकबा पर काबिज व दाखिल रहकर

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

काश्त करते चले आ रहे है जिसका इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में बखूबी दर्ज है लेकिन आराजीयात का दौराने भू-प्रबन्ध साबिक खसरा सं. 121 के नवीन खसरा नंबर 422, 423, 425, 426, 427, 428, 508 स्थित ग्राम नांगल सुमेर सिंह बनाते हुये राजस्व रिकॉर्ड मे खसरा नंबर के बराबर दर्ज कर दिया जबकि हाल नक्शा ट्रेस मे रकबा कम दर्ज कर दिया खातेदारी अपीलाण्ट से कब्जे काश्त के हाल खसरा नंबर 284 रकबा 0.20 हैक्टे., की गलत से रेस्पोडेण्ट के पिता स्व. श्री शिम्भूसिंह के नाम परिवर्तित कर दी। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा साबि खसरा नंबर 121 का मिलान क्षेत्रफल बनाते समय साबिक खसरा नंबर 121 की आराजी कि हाल खसरा नंबर 284 दर्ज कर साबिक खसरा नंबर 123 की भूमि को दर्शाते हुये गलत तरीके रेस्पोन्डेण्ट के पिता की खातेदारी में दर्ज कर दिया तथा साबिक नक्शा ट्रेस खसरा नंबर 121 सीमाऐं नक्शा ट्रेस हाल में गलत चिन्हित कर दी। भूप्रबन्ध विभाग ने साबिक नक्शा ट्रेस साबि खसरा नंबर 121 की दक्षिण की ओर रकबा कम करके हाल नक्शा ट्रेस में दर्शाया है जबकि हा खसरा नंबर 426, 427, 428 की सीमा हाल नक्शा ट्रेस से दक्षिण की ओर साबिक नक्शा ट्रेस अनुसार भारी भिन्नता है। इसी प्रकार खसर नंबर 422 की पश्चिमी सीमा तथा खसरा नंबर 42 की उत्तरी सीमा एवं पश्चिम सीमा तथा हाल खसरा नंबर 424 की उत्तरी सीमा में साबिक नक्श ट्रेस में भारी अन्तर हाल नक्शा देश में कर दिया है तथा जो खसरा नम्बरान दर्ज किये हैं, व मौके अनुसार रकबा दर्ज नहीं है जिसका पता अपीलाण्ट को चलने पर अपीलाण्ट द्वारा अपीलाण्ट द्वारा एक दावा बउनवानी भगवान सहाय वगै. बनाम तहसीलदार महवा वगै. बाबत इन्द्राज दुरूस्ती घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नंबर 116ए/1999 उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त किये जाने हेतु पेश किया था जिसे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा द्वारा दिनांक 27.09.2005 को फैसल फरमा दिया गया। तत्पश्चात अपीलाण्ट ने उपखण्ड अधिकारी महवा के आदेश दिनांक 27.09. 2005 की अपील राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा के समक्ष पेश की जिसे माननीय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा ने दिनांक 09.12.2005 को फैसल फरमाते हुये अपीलाण्ट की अपील को स्वीकार करते हुये खसरा नंबर 284 रकबा 0.20 हैक्टे. की खातेदारी रेस्पोन्डेण्ट के पिता शिम्भूसिंह के नाम से हटाकर अपीलाण्ट के नाम अंकित करने के आदेश फरमाये गये थे। उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पोन्डेण्ट के पिता स्व. श्री शिम्भूसिंह द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की गयी थी जिसे राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 26.09.2024 को फैसल फरमाते हुये राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनाक 09.12.2005 को निरस्त किया जाकर प्रकरण को राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा को प्रतिप्रेषित करते हुये प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 के आज्ञात्मक प्रावधानों के क्रम में उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन एवं विश्लेषण करते हुये वाद में पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करने के आदेश फरमाये गये हैं। दिनांक 26.09.2024 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय की रेस्पोन्डेण्ट को एवं राजस्व कर्मचारियों को पूर्णतया जानकारी है कि आराजी खसरा नंबर 281, 282, 284,285, 286, 287, 288, 420, 421, 97, 98, कुल किता 11, कुल रकबा 3.95 हैक्टे. ग्राम नांगल सुमेर सिंह, तहसील मण्डावर, जिला दौसा पर अभी भी राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा में वाद विचाराधीन है। फिर भी रेस्पोन्डेण्ट द्वारा राजस्व कर्मचारियों से साजकर गैर कानूनी रूप से नामान्तकरण सं. 415 तस्दीक कर दिया जो गलत है। इस कारण उक्त नामान्तकरण खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेण्ट द्वारा उनके पिता स्व. श्री शिम्भूसिंह राजपूत की मृत्यु दिनांक 01.01.2013 को हो जाने के पश्चात उनके कानूनी वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने हेतु रेस्पोन्डेण्ट द्वारा कायम मुकामी प्रार्थना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

पत्र न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें मृतक शिम्भू सिंह के वारिसान कजोड सिंह, हरिसिंह, सुमन कंवर, ऊगम कंवर, अच्छन कंवर व मिथलेश कंवर बतलाये गये थे एवं उन्हीं पक्षकारों को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पक्षकार मुकदमा मानते हुये दिनांक 26.09.2024 को अपील सं. 951/2006 बउनवानी शिम्भूसिंह बनाम भगवान सहाय वगै. का अन्तिम रूप से फैसला किया गया है जबकि रेस्पोन्डेण्ट सं. 2 द्वारा अपने पिता स्व. श्री शिम्भूसिंह राजपूत की विरासत का नामान्तरकरण खुलवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उसके विधिक वारिसान कजोड सिंह, हरिसिंह, मुकन कंवर (फौत), ऊगम कंवर, अच्छन कंवर व मिथलेश कंवर बताये हैं एवं रेस्पोन्डेण्ट सं. 2 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में उसके विधिक वारिसान कजोड सिंह, हरिसिंह, मुकन्द कंवर (फौत), ऊगम कंवर, अच्छन कंवर व मिथलेश कंवर बताये हैं एवं मुकन्द कंवर का फौत होना बताकर उसका मृत्यु प्रमाण पत्र उसके विधिक वारिसान रामसिंह, भरतसिंह, सरोज कंवर, संतोष कंवर व ममता कंवर के नाम नामान्तकरण सं. 415 गलत रूप से खोला गया है जबकि रेस्पोन्डेण्ट द्वारा प्रस्तुत कायम मुकामी प्रार्थना पत्र में दिनांक 15.04.2013 को राजस्व मण्डल अजमेर में उन्होंने मुकन्द कंवर को मृतक शिम्भूसिंह का विधिक वारिसान ही नहीं बनाया था जिससे स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि रेस्पोन्डेण्ट ने राजस्व कर्मचारियों व सरपंच ग्राम पंचायत जटवाडा से साजकर फर्जी एवं कूटरचित दस्तावजो पर नामान्तकरण सं. 415 तस्दीक करवाया है जों खारिज होने योग्य है। दौसा जिले में दौसा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने के कारण सम्पूर्ण दौसा जिले में जिला कलेक्टर दौसा द्वारा दिनांक 15.10.2024 को आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गयी है जिसमें किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी ग्राम सभा या आम सभा की बैठक नहीं हो सकती है लेकिन उसके बावजूद सरपंच ग्राम पंचायत जटवाडा द्वारा विधि विरूद्ध एवं मनमाने तरीके से नामान्तरकरण सं. 415 दिनांक 18.10.2024 को खोला गया है कि खारिज होने योग्य है। अपीलाण्ट को नामान्तरकरण सं. 415 दिनांक 18.10.2024 की नकल दिनांक 19.10.2024 को प्राप्त हुई जिसे लेकर अपीलाण्ट पहले तहसीलदार मण्डावर से मिला तथा उनसे उक्त गलत इन्द्राज के बाबत दुरूस्ती का निवेदन किया मगर उन्होंने उसे दुरूस्त करने से दिनांक 25.10.2024 को स्पष्ट मना कर दिया और सक्षम न्यायालय से कानूनी कार्यवाही करने को कहा। विवादित नामान्तरकरण के बने रहने से एवं उसके आधार पर वर्तमान राजस्व जमाबन्दी में उक्त इन्द्राज के बने रहने से अपीलाण्ट को भारी क्षति हो रही है तथा उनका राजस्व न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा के समक्ष चल रहे मुकदमें की कार्यवाही बेसूद हो जावेगी तथा अपीलाण्ट के अधिकारों का हनन हो रहा है तथा उसे अकथनीय क्षति हो रही है। इसलिये अपीलाण्ट को यह अपील विरूद्ध रेस्पोन्डेण्ट लाना लाजमी आया है। अपील दिनांक 18.10.2024 को नामान्तकरण खोला गया तथा उक्त नामान्तरकरण की नकल दिनांक 19.10.2024 को प्राप्त हुई तथा दिनांक 25.10.2024 को तहसीलदार मण्डावर द्वारा उक्त दुरूस्ती से साफ इन्कार कर दिये जाने से बमुकाम मण्डावर जिला दौसा में पैदा हुई है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकण सं. 415 दिनांक 18.10.2024 को निरस्त फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व स्थिति बहाल किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुतिकरण के समय रेस्पोडेंटस के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अपीलांट का प्रार्थना पत्र पंजीबद्व किया जाकर रेस्पोडेंटस के विरूद्व 26.11.2024 को अंतरिम अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि रेस्पोडेंटस ग्राम नाँगल सुमेरसिंह, पटवार हल्का जटवाड़ा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित उक्त विवादित

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

आराजीयात भूमि खसरा सं. 282, 284, 285, 286, 287, 288, 420, 421, 97, 98 के मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. अपील को दर्ज रजिस्टर करके रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की सम्यक तामील के बावजूद, रेस्पोडेन्टस द्वारा न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बंद कर दिया गया। अपील मे वर्णित अभिवचनों के सम्बन्ध में, तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट दिनांक 01.09.2025 के अनुसार, ग्राम नांगल सुमेरसिंह के खसरा नं. 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 508 कुल किता 8, कुल रकबा 2.20 हैक्टे. अनिल कुमार ,खेमराज, भगवानसहाय पि–किशोरीलाल जाति मीना राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा मण्डावर में रहन दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा नं. 281, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 420, 421, 97, 98 कुल किता 11, कुल रकबा 3.95 हैक्टे. हरिसिंह कजोडसिंह पि. शिम्भूसिंह हि. 1/3, अच्छन कँवर, उगम कँवर, मिथलेश कँवर पुत्रियाँ शिम्भूसिंह हि. 1/2 , भरतसिंह, रामसिंह पि. उम्मेदसिंह, ममता कंवर, सतोष कंवर, सरोज कंवर पुत्रिया उम्मेदसिंह हि. 1/6, जाति राजपूत राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मण्डावर में रहन दर्ज है। खसरा नं. 282, 284, 285, 286, 287, 288, 420, 421, 97, 98, पर उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति का स्थगन लगा हुआ है। खसरा नं. 284 पर न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी, एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी दौसा मु. जयपुर के मु.न. 56/2025 से राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन लगा हुआ है। वर्तमान खसरा नं. 284 पर प्रार्थीगण भगवानसहाय वगै. काबिज काश्त है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण कजोडसिंह वगैरह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर खसरा नं. 284 रकबा 0.20 हैक्टे. राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा में विचाराधीन है। अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व मण्डल, न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रकरण के दौरान शिम्भूसिंह के फौत हो जाने पर कजोड़सिंह, हरिसिंह, सुमन कँवर, उगम कँवर, अच्छन कँवर, मिथिलेश कँवर के नाम से वारिस संबंधी शपथ–पत्र पेश किया गया था। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम नांगल सुमेरसिंह का नामान्तकरण सं. 415, दिनांक 10.10.2024 खुलवाते समय कजोड़ सिंह, हरिसिंह, मुकन कँवर (मृतका), उगम कँवर, अच्छन कँवर, मिथलेश कँवर के नाम से वारिस संबंधी शपथ–पत्र पेश किया गया था।

4. रेस्पोडेंट्स द्वारा उक्त रिपोर्ट पर आपत्ति दिनांक 09.10.2025 प्रस्तुत की कि नामान्तरकरण सं. 415, ग्राम नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर के सम्बन्ध में चाही गयी रिपोर्ट दिनांक 19.08.2025 को पटवारी हल्का जटवाड़ा द्वारा तैयार की गई तथा उन्हीं द्वारा हस्ताक्षर कर न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो न्यायालय के आदेश की पालना के अनुसार नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है। नामान्तकरण सं. 415 खोलने के सम्बन्ध में तहसीलदार मण्डावर द्वारा मुकन पुत्री शिंभू सिंह के वारिसान की जांच तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर से करवाने हेतु निवेदन किया जिस पर तहसीलदार कुचामन सिटी के पत्रांक 2218 दिनांक 16.10.2024 के द्वारा जांच रिपोर्ट तहसीलदार मण्डावर को भेजा जाना अंकित किया है। उक्त जांच रिपोर्ट का हवाला उक्त मौका रिपोर्ट में नहीं किया गया है बल्कि तथ्यात्मक रिपोर्ट को इस प्रकार तैयार किया गया है कि अपील में अंकित तथ्यों को ही दोहराया गया है जबकि अपील में मुख्य विवाद बिन्दु यह है कि शिंभू सिंह के वारिसान में एक लडकी सुमन कंवर थी या मुकन कंवर या मुकुंद कंवर इस बारे में तहसीलदार मण्डावर को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी जिसकी जांच रिपोर्ट तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा तहसीलदार मण्डावर को भेजी गयी थी। उसके पास मौजूद होने के बावजूद भी न्यायालय को गुमराह करने के आशय से पटवारी हल्का जटवाडा द्वारा ही तथ्यों

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

की ओर ध्यान नहीं देकर मनमानी तरीके से रिपार्ट प्रस्तुत की है। न्यायालय द्वारा, जिस उद्देश्य के लिए यह रिपोर्ट तहसीलदार मण्डावर से तलब की गयी थी, उस रिपोर्ट पर तहसीलदार मण्डावर के कहीं भी हस्ताक्षर नहीं है जिससे उक्त रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं रह जाता क्योंकि पटवारी हल्का से न्यायालय ने रिपोर्ट तलब नही की है। उक्त अपील में न्यायालय को यह देखना है कि मृतक शिंभूसिंह पुत्र प्रभूसिंह के कुल कितने वारिस है, उन वारिसों में कोई उक्त नामांतरकरण खोलते समय छोड दिया गया अथवा फालतू व्यक्ति जोड दिया गया है, इसकी रिपोर्ट तलब की जानी थी। न्यायालय का उद्देश्य तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब करने का नहीं था जबकि पटवारी हल्का जटवाडा द्वारा उक्त रिपोर्ट में अपील में अंकित तथ्यों को ही दोहराया गया है जबकि उनके द्वारा नामांतरकरण किन आधारों पर खोला गया, उसके बारे में अंकित नहीं किया जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त रिपोर्ट को किस आधार पर प्रस्तुत कराया गया है। न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का जटवाडा एवं तहसीलदार मण्डावर को मृतक शिंभूसिंह पुत्र प्रभूसिंह के विधिक वारिसान में से एक पुत्री मुकन कंवर पत्नी उम्मेदसिंह, जाति राजपूत, निवासी हाल रूपपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर हाल डीडवाना कुचामन की जांच रिपोर्ट तहसीलदार कुचामन सिटी के आदेश क्रमांक 2218 दिनांक 16.10.2024 के द्वारा तहसीलदार मण्डावर के आदेश क्रमांक 1205 दिनांक 15.10.2024 की पालना में भिजवायी थी, उसे भी उक्त मौका रिपोर्ट के साथ भिजवाना चाहिए था जिसे तहसीलदार मण्डावर से तलब किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः पटवारी हल्का जटवाडा द्वारा दिनांक 19.08.2025 के द्वारा प्रस्तुत की गयी मौका रिपोर्ट को निरस्त किया जाकर पुनः तहसीलदार मण्डावर से प्रार्थी द्वारा उठाई गयी आपत्ति के अनुसार एवं तहसीलदार मण्डावर द्वारा कराये गये जांच रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट तलब करें।

5. अपीलांट ने उक्त आपत्ति दिनांक 09.10.2025 का जवाब दिनांक 28.10.2025 प्रस्तुत कर आपत्तियों का खंडन किया एवं कथन किया कि न्यायालय द्वारा तहसीलदार मण्डावर से नामान्तकरण सं. 415 ग्राम नांगल सुमेर सिंह के संबंध में रिपोर्ट मंगवाने की हद तक स्वीकार है। न्यायालय द्वारा तहसीलदार मण्डावर से नामान्तकरण सं. 415 ग्राम नांगल सुमेर सिंह के खोले गये नामान्तकरण से संबंधित रिपोर्ट चाही गयी थी जिस पर तहसीलदार मण्डावर ने पटवारी हल्का जटवाडा एवं भू.अ. निरीक्षक ऊकरूंद से न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील के संदर्भ में मौका व राजस्व रिकॉर्ड अनुसार बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट चाहीं गयी थी जिस पर पटवारी हल्का जटवाडा द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों के अनुसार उन पर जांच करके एवं उनसे संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने के पश्चात रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश की है जो कि सही है। प्रार्थना पत्र का मद सं. 3 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है स्वीकार नहीं है। रेस्पोडेण्टस द्वारा तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट को तलब करवाये जाने हेतु इस मद में लिखा गया है जबकि न्यायालय द्वारा उक्त उनवानी अपील में बहस अन्तिम सुनने को पश्चात तहसीलदार मण्डावर से अपने पत्र क्रमांक रीडर/2025/12 दिनांक 05.08.2025 द्वारा पत्र भेजकर निर्देशित किया गया था कि उक्त प्रकरण में मौका व राजस्व रिकोर्ड अनुसार बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट आगामी पेशी दिनांक 21.08.2025 तक न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। तत्पश्चात तहसीलदार मण्डावर ने पटवारी हल्का जटवाडा से इस बाबत तथ्यात्मक रिपोर्ट राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्राप्त कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है एवं रेस्पोडेण्ट्स को उक्त जांच रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि यदि कोई पक्षकार न्यायालय श्रीमान के समक्ष उक्त जांच रिपोर्ट तलब करवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता एवं जिस पर न्यायालय तहसीलदार मण्डावर से रिपोर्ट मंगवाता तो उस पर किसी भी पक्ष को आपत्ति प्रस्तुत करने अधिकार प्राप्त था। चूंकि उक्त अपील में दोनों पक्षों की बहस अन्तिम सुनने के

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

पश्चात न्यायालय श्रीमान द्वारा न्याय निर्णय के लिये अपने स्वविवेकानुसार यह जांच रिपोर्ट तहसीलदार मण्डावर से तलब की है जिस पर रेस्पोडेण्ट को कानूनी रूप से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तहसीलदार मण्डावर ने न्यायालय के आदेश की पालना में पटवारी हल्का जटवाडा से उक्त प्रकरण की बिन्दुवार जांच रिपोर्ट चाही गयी थी जो कि पटवारी हल्का जटवाडा ने राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार तैयार की गयी है। रेस्पोडेण्ट्स का यह कहना भी गलत है कि उक्त अपील में न्यायालय श्रीमान को केवल यह देखना है कि मृतक शिम्भूसिंह पुत्र प्रभूसिंह के कुल कितने वारिसान है एवं उनमे से कोई छोड दिया गया है अथवा फालतू व्यक्तियों को जोड दिया गया है बल्कि उक्त अपील में इसके साथ साथ न्यायालय को यह भी देखना है कि नामान्तरकरण सं. 415 दिनांक 18.10.2024 जो कि मृतक शिम्भूसिंह पुत्र प्रभूसिंह के वारिसान के नाम खोला गया है व सही खोला गया है या फिर विधि विरूद्ध तरीके से खोला गया है एवं रेस्पोडेण्ट्स का यह कहना भी गलत है कि पटवारी हल्का जटवाडा द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया हो बल्कि सही बात यह है कि न्यायालय ने अपील के बिन्दुवार रिपोर्ट ही तहसीलदार मण्डावर से चाही गयी थी जो कि पटवारी हल्का जटवाडा द्वारा तैयार की गयी है। तहसीलदार मण्डावर एवं पटवारी हल्का जटवाड़ा द्वारा जो जांच रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश की गयी है, वह न्यायालय के आदेशानुसार बिन्दुवार सही है। जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 09.10.2025 प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट्स का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

6. उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों की बहस सुनी गयी तथा प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया। इसके उपरांत अपील मीमो पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी जिसमें विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमो के अभिवचनों को दोहराया एवं अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया गया। विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेंट ने अपील के अभिवचनों को अस्वीकार किया एवं अपील को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. अपील पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों यथा तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट, ग्राम पंचायत जटवाड़ा के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 415 आदेश दिनांक 18.10.2024, रेस्पोन्डेंट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत अपील डिक्री टीए सं. 951/06 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते कायम मुकामी एवं इस अपील डिक्री में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2024, रेस्पोन्डेंटस द्वारा पटवारी मण्डावर के समक्ष प्रस्तुत शिंभूसिंह के विरासत का नामांतरकरण खोलने हेतु प्रार्थना पत्र एवं इसके साथ संलग्न प्रमाणित वारिसान सजरा एवं शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 10.05.2021 का अवलोकन किया गया। तथा बहस पर मनन किया।

8. ग्राम पंचायत जटवाड़ा के द्वारा तस्दीक नामान्तकरण सं. 415 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण के द्वारा, शिम्भूसिंह के फौत होने पर, ग्राम पंचायत जटवाड़ा द्वारा कजोड सिंह, हरीसिंह, उगम कंवर, अच्छन कंवर, मुकन कंवर (मृतक) को शिंभूसिंह का वारिस मानते हुए तथा रामसिंह, भरतसिंह, सरोज कंवर, संतोष कंवर, ममता कंवर को मुकन कंवर (मृतक) का वारिस मानते हुए इनके नामों की प्रविष्ठी दर्ज की गयी। तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम नांगल सुमेर सिंह के विवादित खसरा सं. 282, 284, 285, 286, 287, 288, 420, 421, 97, 98, भूमि अपीलांट व सहखातेदारों के मध्य राजस्व रिकॉर्ड अनुसार दर्ज है। रेस्पोन्डेंटस द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत अपील डिक्री टीए सं. 951/06 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते कायम मुकामी एवं इस अपील डिक्री में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2024 में शिंभूसिंह के वारिस सुमन कंवर का विवरण दर्ज है जबकि रेस्पोन्डेंटस द्वारा पटवारी को प्रस्तुत शपथ पत्र में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

शिंभूसिंह के वारिस के रूप में मुकन कंवर का विवरण दर्ज है। रजिस्ट्रार रूपपुरा टोरडा कुचामन नागौर द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 10.05.2021 में विवरण मुकन्द कंवर पुत्र शंभूसिंह दर्ज है। उक्त तीनों ही दस्तावेजों (रेस्पोन्डेंटस द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत अपील डिक्री टीए सं. 951/06 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते कायम मुकामी एवं इस अपील डिक्री में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2024, रेस्पोन्डेंटस द्वारा पटवारी को प्रस्तुत शपथ पत्र,रजिस्ट्रार रूपपुरा टोरडा कुचामन नागौर द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 10.05.2021) में शिंभूसिंह के वारिस के रूप में भिन्न प्रविष्ठियां/विवरण क्रमशः सुमन कंवर, मुकन कंवर, मुकन्द कंवर दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के द्वारा तस्दीक नामान्तकरण सं. 415 आदेश दिनांक 18.10.2024 में शिंभूसिंह के वारिस का निर्धारण किये जाने में ग्राम पंचायत के द्वारा त्रुटि किया जाना पाया जाता है तथा वारिस के निर्धारण के लिए विस्तृत जांच किया जाना आवश्यक पाया जाता है। इसलिए ग्राम पंचायत के द्वारा तस्दीक नामान्तकरण सं. 415 आदेश दिनांक 18.10.2024 को इस नामांतरकरण के द्वारा दर्ज की गयी प्रविष्ठियों रामसिंह, भरतसिंह, सरोज कंवर, संतोष कंवर, ममता कंवर पि. उम्मेदसिंह की हद तक अपास्त किया जाना तथा नामान्तकरण दर्ज करते समय हुई त्रुटि को दुरूस्त किया जाना उचित पाया जाता है।

आदेश

9. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत जटवाड़ा के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 415 आदेश दिनांक 18.10.2024 के द्वारा शिंभूसिंह की विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करने से दर्ज हुई प्रविष्ठी "रामसिंह, भरतसिंह, सरोज कंवर, संतोष कंवर, ममता कंवर पि. उम्मेदसिंह" की हद तक निरस्त किया जाता है और प्रकरण को इस निर्देश के साथ तहसीलदार मण्डावर को प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार मण्डावर उक्त नामान्तरकरण सं. 415 से सम्बंधित समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर शिंभूसिंह के नामान्तकरण में हुई त्रुटि के सम्बन्ध में जांच कर निर्णय पारित करे। पत्रावली में दिनांक 26.11.2024 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रचलन को समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 05.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)